


तारीख
हुक्म


पृष्ठ 160/20

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामकिशोर या बाबूलाल



21/8/21



15-12-2021

रामकिशोर

क्र. नं. बाबूलाल

पुनर्विलीन अशांत 21/12/2021 के लिए
 असेम्बली 2021 शिविर 21/12/2021 पर
 गुललाग पेश हुआ। आवी रामकिशोर
 अश्वरथी बाबूलाल उपस्थित शिविर
 मध्ये तथा रामकिशोर रिमाई असेम्बली
 क्र. 20747) एवम् क्र. 45,183 अश्वरथी
 गुललाग एवं एवम् क्र. 5 अश्वरथी
 का मते गुललाग में आवी (क) नाम
 कालू राम अश्वरथी दत्त हैं जो अश्वरथी
 हैं। एहीनाम रामकिशोर हैं। एवम् क्र. 45
 अश्वरथी का नाम रामकिशोर है। एवम् क्र. 45
 नाम हैं किमा जौव।
 आवी अश्वरथी कालू रिमाई
 एवम् क्र. 45 गुललाग, अश्वरथी दत्त
 कालू राम अश्वरथी रिमाई, एवम् क्र. 45
 अश्वरथी गुललाग अश्वरथी
 अश्वरथी शिविर गुललाग अश्वरथी
 अश्वरथी अश्वरथी शिविर अश्वरथी



व
म
की
ह

पु.सं. 160/2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रामकिशोर या रामकिशोर

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

उपरोक्त ग्राम जन से रामकिशोर
को फल (भूमी) में ही नाम रामकिशोर
किया, काल राम, रामकिशोर दोनों नाम
एक ही व्यक्ति के स्थापित, तथा रामकिशोर
विकास से काल राम के लिये फल रामकिशोर
इसके किमा जागा हुक्म किमा, इत.
उपर्युक्त विवेचन से शर्ही जाडा रामकिशोर
नाम इसकी स्वीकार किमा जागा इतने
शरीर हता है।

अतः दिनांक 15/12/2024 को सुलगा
आ.प.ल. आ. को लार्ड तहसीलदार (राम)
स्वयं ग्राम पंचायत सुलगा, धिबिल
से उपरोक्त ग्राम रामकिशोर (रामकिशोर) से शर्ही
एवं शर्ही कि ग्राम सुलगा तहसीलदार
राजकुमार शर्ही (रामकिशोर) के लार्ड (राम)
43, 183 एवं रामकिशोर को फल सुलगा
की भूमी शर्ही (रामकिशोर) के लार्ड (राम)
इसे दूजे नाम काल राम पुत्र रामकिशोर की शर्ही
रामकिशोर पुत्र रामकिशोर किमा जाता है राम
शर्ही शर्ही शर्ही तहसीलदार
के लार्ड निमशर्ही राजकुमार विकास में अमल
करा कर। तहसीलदारी है। हुक्म में हता
शर्ही शर्ही शर्ही शर्ही शर्ही शर्ही
है। निर्णय पुताया गया, लार्ड

उप. जिला कलक्टर (ग)
(1) बंदीकूट (दोसा) RA
प्रशासन गाँवों के संग अफिसर-2024
दिनांक 15/12/24
15/12/24